न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा

मिसल नं. :– 03/2019 तारीख दायरा :– 28.01.2019 तारीख फैसला :– 27/7/21

पीठासीन अधिकारी-- श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1. परमेश्वर आयु वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

– वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. भगवतीप्रसाद पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
3. हेमलता पुत्री श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
4. उर्मिला पुत्री श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा ,88,89,188 आर0 टी0एक्ट

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम रोण पटवार क्षैत्र शहनावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज0) की जमाबन्दीह सम्वत् 2072 से 27075 खाता संख्या नई 177 पुरानी 181 में वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में खसरा संख्या 404 रकबा 0.07 है0, खसरा सं0 406 रकबा 0.15 है0, खसरा सं0 466 रकबा 1.05 है0, खसरा सं0 467 रकबा 0.67 है0, खसरा सं0 639 रकबा 2.41 है0, खसरा सं0 641 रकबा 1.87 है0 कुल खसरा 6 कुल रकबा 6.22 है0 कुल लगानी 200.80 रूपये स्थित है, जिसे आगे वादपत्र में विवादित भूमि संबोधित किया गया है।

यह कि उपर वर्णित विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम को वादी के पितामह एवम् उनके पिता स्व0 श्री रामचन्द्र से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादी का जन्म से ही विवादित भूमि में हित उत्पन्न हो गया है व वादी अपने निहित हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषणा करवा कर पृशक से बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी क्रम 2 वादी का सगा भाई है तथा प्रतिवादी क्रम 3, 4 वादी की सगी बहने है। प्रतिवादी क्रम 2 को स्व0 श्री रामचन्द्र द्वारा उनके जीवन काल में ही निहित अंश के मुकाबले भूमि प्रदान कर दी गई थी। इसलिए विवादित भूमि में प्रतिवादी क्रम 2 का कोई हित शेष नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 3 तथा 4 का भी विवादित भूमि में कोई हित शेष नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी क्रम 3 तथा 4 मीणा जाति की महिला सदस्य है तथा मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता है तथा मीणा जाति के सदस्य शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है. जिसके अनुसार "पुत्र होने स्थिति में पिता संपत्ति में पुत्री को कोई हित प्राप्त नहीं होता ह"। इसलिए प्रतिवादी क्रम 2, 3 तथा 4 को वादी के रहते विवादित भूमि में कोई हक नहीं बनता है। विवादित भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में अंकन का अनुचित लाभ उठाकर विवादित भूमि को अन्यत्र खुर्द–बूर्द करने, असामाजिक तत्वों की सहायता से विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा है। जबकि विवादित भूमि में वादी का जन्म से ही 1/2 हिस्सा निहित तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 इसी अनुरूप विवादित भूमि पर अपने–अपने 1/2– 1/2

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

स्से के अनुसार भूमि शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे है। इन परिस्थितियों में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से स्वयं की हिस्से की घोषणा करवाकर प्रथक से विभाजन करवायें। तदर्थ श्रीमान की सेवा में वाद पत्र प्रस्तुत है।

यह कि राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादी को भू सुधार हेतु, कृषि ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में अपने 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर उसका पृथक से बंटवारा करवाकर पृथक से लगान कायम करावे।

यह कि दिनांक 21.10.2019 को वादी ने बंटवारा करने हेतु अपने पिता प्रतिवादी क्रम 1 से निवेदन किया तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया, इस पर वादी ने प्रतिवादी क्रम 5 से उसके हिस्से की भूमि पर खातेदारी दर्ज कर पृथक से बंटवारा करने हेतु निवेदन किया तो उन्होनें साफ इन्कार करते हुए कहा कि न्यायालय में कार्यवाही करो, इस पर वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजि किया गया हैं । उन्हें केवल मात्र न्यायालय श्रीमान के आदेश के पालना करनी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 05 से कोई विशेष अनुतोष वांछित नहीं है।

वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 4 की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया । दिनांक 6.11.2019 को प्रतिवादी कम 1. ता 4 की ओर से जर्ये वकील जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी कम 1 ता 4 द्वारा संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –

1. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 राजस्व अभिलेख के अनुसार स्वीकार है।

2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि पैतृक होना स्वीकार है। वादी विवादित भूमि पैतृक होने से अपने निहित हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषणा करवाकर पृथक से बटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है।

3. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 स्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 2 को स्व0 श्री रामचन्द्र द्वारा उनके जीवन काल मे ही उसके निहित अंश के मुकाबले भूमि प्रदान कर दी गई थी इसलिए विवादित भूमि में प्रतिवादी क्रम 2 का कोई हित शेष नहीं है। इसी प्रकार मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकर कानून लागु नही होने, मीणा जाति के सदस्य शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होने से "पुत्र होने की स्थिति में पिता की संपत्ति में पुत्री को कोई हित प्राप्त नहीं होता है"। विवादित भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी क्रम 2,3,4 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम1 अपने–अपने 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार भूमि शांतिपूर्वक काबिज काश्त है।

प्रकरण में दिनांक 21.01.2021 को पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया । दिनांक 23.2.2021 को वकील वादी द्वारा अवगत करवाया कि प्रतिवादी कम 5 सरकार को फोरमल पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रतिवादी कग. 5 के जवाब की आवश्यकता नही है। मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में बहस राजीनामा सुनी गई। वकील पक्षकारान् द्वारा अपनी बहस में अवगत करवाया की प्रकरण में लोकभावना अनुसार राजीनामा हो चुका है अतः मुताबिक राजीनाम प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

मुताबिक राजीनामा ग्राम रोण पटवार क्षैत्र शहनावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज. मे वादी के पिता प्रतिवादी कम 1 की खातेदारी मे खसरा न. 404 रकबा 0.07 है0 ख.न. 406 रकबा 0.15 है0 खसरा सं0 466 रकबा 1.05 है0, खसरा सं0 467 रकबा 0.67 है0, खसरा सं0 639 रकबा 2.41 है0, खसरा सं0 641 रकबा 1.87 है0 कुल खसरा 6 कुल रकबा 6.22 है0 पैतक कृषि भूमि सम्पति है जो वादी के पिता प्रतिवादी कम 1 राधेश्याम को वादी पिता एवं उनके पिता स्व0 रामचन्द्र से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी कम 2 वादी का सगा भाई है तथा प्रतिवादी कम 3,4 वादी की सगी बहिने है। प्रतिवादी कम 2 को स्व0 रामचन्द्र द्वारा उनके जीवनकाल में ही उसके निहित अंश के मुकाबले भूमि प्रदान कर दी गई थी। इसलिए विवादित भूमि में प्रतिवादी कम 2 का कोई हित शेष नही है । प्रतिवादी कम 3 ,4 मीणा जाति की महिला सदस्य है तथा मीणा जाति के व्यक्तियो पर हिन्दू उत्तराधिकार काननू लागू नही होकर मीणा जाति के सदस्य शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है जिसके अनुसार " पुत्र होने की स्थिति में पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई हित प्राप्त नही होता है। इसलिए प्रतिवादी कम 2,3,4, को विवादित आराजीयात् मे कोई हक नही बनता है। विवादित भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी कम 2,3,4,का कोई कब्जा काश्त नही है।

प्रकरण में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं राजीनामा एव जवाब दावा का अवलोकन किया गया। उक्त कृषि भूमि पक्षकारान् की पैतिक सम्पति होने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् विवादित आराजीयात् का निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है।

1– परमेश्वर पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तह0 पीपल्दा,जिला कोटा राज. कि हिस्से आई भूमि –ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा की खसरा सं. 641 की 1.87 है0 भूमि तथा खसरा सं0 641 के लगवा की खसरा सं. 639 की 2.41 है0 भूमि मे से 2.01 है0 भूमि कुल 3.88 है0भूमि।

2– राधेश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा के हिस्से आई भूमि –ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा की खसरा सं 404 रकबा 0.07 है0,खसरा सं. 406 रकबा 0.15 है0,खसरा सं0 466 रकबा 1.05 है0,खसरा सं0 467 की 0.67 है0,खसरा सं0. 639 रकबा 2.41 की शेष 0.40 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.34 है0 आराजी।

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यदि कृषि भूमि पर रहनभार है तो यथावत रहेगा उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक ....12/7/21.... को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) इटावा

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

मिसल नं. :– 03/2019 तारीख दायरा :– 28.01.2019 तारीखः– फैसला – 13/7/21

:–पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1. परमेश्वर आयु वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा – वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा भगवतीप्रसाद पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. हेमलता पुत्री श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. उर्मिला पुत्री श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा –प्रतिवादीगण
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

उपस्थित अभिभाषकगण –
श्री गिरिराज कुशवाह–वकील वादीगण
श्री जगदीश प्रसाद मीना, वकील प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू श्री गिरिराज कुशवाह मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् विवादित आराजीयात् का निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है।

1– परमेश्वर पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी रोण तह0 पीपल्दा,जिला कोटा राज. कि हिस्से आई भूमि – ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा की खसरा सं. 641 की 1.87 है0 भूमि तथा खसरा सं0 641 के लगवा की खसरा सं. 639 की 2.41 है0 भूमि मे से 2.01 है0 भूमि कुल 3.88 है0भूमि

2– राधेश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा के हिस्से आई भूमि – ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा की खसरा सं 404 रकबा 0.07 है0,खसरा सं. 406 रकबा 0.15 है0,खसरा सं0 466 रकबा 1.05 है0,खसरा सं0 467 की 0.67 है0,खसरा सं0, 639 रकबा 2.41 की शेष 0.40 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.34 है0 आराजी।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रे.
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यदि कृषि भूमि पर रहनभार है तो यथावत रहेगा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पंचम श्रेणी) इटावा

Scanned with CamScanner